मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1–तिलक मार्ग, लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्याः W-304/2015 दिनांकः सितम्बर 28,2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उ0प्र0।

विषयः– चोरी/गुम/क्षतिग्रस्त हुए वायरलेस सेट, उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाओं के अपलेखन/कय मूल्य की वसूली के सम्बन्ध में।

वायरलेस सेट, उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाओं के चोरी/क्षतिग्रस्त/खोने पर उनके अपलेखन एवं अधिकारी/कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए वसूली किये जाने हेतु आदेश संख्याः डीजी–4/बी–308(1)96 दिनांकः 18.04.1996 के अनुसार आवश्यक आदेश/निर्देश पूर्व में दिये गये है लेकिन इसके बावजूद भी उपरोक्त के सम्बन्ध में अपलेखन एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण नियमानुसार तत्परता से नहीं हो पा रहा है।

ज्ञातव्य है कि वायरलेस सेट, उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाएं अत्यन्त संवेदनशील एवं वर्गीकृत श्रेणी में आते है। वायरलेस सेट हेतु भारत सरकार, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है। वायरलेस सेट में कार्यरत नेटवर्क की फ्रीक्वेन्सी समाहित रहती है। इनका लापरवाही से चोरी/गुम/क्षतिग्रस्त होना एक गम्भीर प्रकरण है। अतएव निर्णय लिया गया है कि लापरवाही से चोरी/गुम/क्षतिग्रस्त वायरलेस सेट, उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाओं के कय मूल्य की वसूली दोषी कार्मिक से की जाय।

अतः पूर्व आदेश संख्याः **डीजी–4/बी–308(1)96 दिनांकः 18.04.1996** को अतिकमित करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं ताकि अपलेखन/वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियॉ अविलम्ब पूर्ण की जा सकें–

1. पुलिस रेडियो मुख्यालय का स्थाई आदेश संख्याः 13/1967 प्रस्तर –11(प्रतिलिपि संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जनपदों/इकाइयों द्वारा वायरलेस सेट, उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाओं के **चोरी/क्षतिग्रस्त/खोने** की सूचना **03 दिवस** के अन्दर महालेखाकार, इलाहाबाद के साथ–साथ रेडियो मुख्यालय तथा स्थानीय अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दी जायेगी। **चोरी/खोने की घटना** तलाश करने हेतु समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को सूचना सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा **03 दिवस** के अन्दर प्रेषित की जायेगी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/क्षेत्रीय राज्य रेडियो अधिकारी, वायरलेस सेट, उपकर्मिकाओं एवं उपकरण चोरी/क्षतिग्रस्त/खोने की सूचना प्राप्त होने पर अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण कराने हेतु राजपत्रित अधिकारी (जो घटना स्थल के क्षेत्र का पर्यवेक्षणाधिकारी न हो) द्वारा प्रारम्भिक जॉच कराकर जॉच आख्या 30 दिवस के अन्दर रेडियो मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें। जॉच अधिकारी कार्मिक की लापरवाही से चोरी/गुम/क्षतिग्रस्त वायरलेस सेट, उपकरण एवं उनकी उपकर्मिकाओं के कय मूल्य की वसूली हेतु स्पष्ट संस्तुति करेगें। निर्धारित कय मूल्य की जानकारी रेडियो मुख्यालय से तत्काल कर वसूली सम्बन्धित कार्मिक से सुनिश्चित की जाय।
3. **वायरलेस सेटों/उपकरणों** के चोरी/क्षतिग्रस्त/खोने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित थानें की जीडी में तस्करा अंकित कराया जायेगा तथा सम्बन्धित थानें में निम्नानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर मुकदमें की विवेचना भी करायी जायेगी–

   (अ) वायरलेस सेटों/उपकरणों के चोरी/खोनें की घटना में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्रीय थानें में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जाय।

   (ब) सेटों/उपकरणों के **दैवीय घटना/विद्युत शार्ट सर्किट** एवं अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने की घटना में क्षेत्रीय थानें/पुलिस लाइन की जीडी में तस्करा अंकित कराया जाय एवं क्षतिग्रस्त उपकरण को अनुमति प्राप्त कर रेडियो मुख्यालय के केन्द्रीय कर्मशाला में भेजकर 15 दिवस के अन्दर भौतिक/तकनीकी परीक्षण कराया जाय।

   (स) सेटों/उपकरणों का **धरना/प्रदर्शन/बलवा** के दौरान स्थानीय **जनता/भीड़ के द्वारा जलाने/क्षतिग्रस्त** किये जाने की घटना में क्षेत्रीय थानें में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जाय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/क्षेत्रीय राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा 01 सप्ताह में समिति गठित कर समिति द्वारा क्षतिग्रस्त सेटों/उपकरणों का भौतिक/तकनीकी परीक्षण स्थानीय रूप से कराया जायेगा।

4. (अ) अपलेखन द्वारा निस्तारण हेतु मुकदमें की विवेचना/विभागीय जॉच का निष्कर्ष प्राप्त होने पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/क्षेत्रीय राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारी (जो घटना स्थल के क्षेत्र का पर्यवेक्षणाधिकारी न हो) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा।

(ब) समिति विवरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/क्षेत्रीय राज्य रेडियो अधिकारी की स्पष्ट सहमति/संस्तुति के साथ अपलेखन की अग्रेतर कार्यवाही हेतु रेडियो मुख्यालय भेजी जायेगी।

(स) समिति आख्या के साथ निम्न प्रपत्र रेडियो मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित किये जायेंगे–

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति।
(2) थाने/पुलिस लाइन की जीडी में तस्करा अंकित कराये जाने की प्रति।
(3) महालेखाकार को भेजी गयी सूचना की प्रति।
(4) प्रारम्भिक जॉच के आदेश की प्रति।
(5) प्रारम्भिक जॉच आख्या की प्रति।
(6) माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति।
(7) समिति गठित किये जाने का आदेश।
(8) समिति विवरण की प्रति मूलरूप में।

5. वायरलेस सेट के चोरी/खोने के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करते हुए दीर्घ दण्ड/लघु दण्ड की कार्यवाही भी की जायेगी।

6. वायरलेस सेट के अतिरिक्त अन्य संचार उपकरण (सीसीटीवी, जीपीएस एवं एमडीटी आदि) के क्षतिग्रस्त/चोरी/खोने की घटना के निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही करायी जायेगी।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होने वाले सभी प्रकरणों में भी विवेचना के साथ–साथ विभागीय जॉच एवं वसूली की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा इससे सर्वसम्बन्धित को अवगत भी करा दिया जाय।

28/9/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डल आयुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त उपमहानिरीक्षक, (पुलिस दूरसंचार), उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त राज्य रेडियो अधिकारी/अपर राज्य रेडियो अधिकारी, जोन्स, उ0प्र0।
7. समस्त सहायक रेडियो अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त रेडियो निरीक्षक, उ0प्र0।

स्थायी आदेश संख्या - 13/1967

10. Disposal of Stores -

(i) Unserviceable stores should be returned to the authority who has supplied the replacement.

(ii) No unserviceable stores will be disposed off without the orders of a Gazetted Officer of the Radio Section. They will be disposed off in the manner prescribed.

(iii) Unserviceable stores, which are condemned by the competent authority, will be written off from the stock book.

(iv) A return of unserviceable stores in every range will be sent by the RMOs to A.R.O.(M) alongwith the quarterly property list.

11. Loss of Stores -

Loss of signal stores is a very serious matter and must be promptly reported by signal to the S.R.O. At the same time, information should be given to the Police Officer who is responsible for local control and a report should also be lodged at the nearest Police Station, after obtaining the advice of the Police Officer concerned. In case of loss by fire or natural calamity, the local Police Officer should be requested to immediately convene a Committee of Officers to enquire and report on the matter.

12. All the major equipment of radio stations is deployed from Radio Headquarters. It is, therefore, necessary that a complete record of deployment is available there at all times. With this thing in view, movement of equipment from one station to another should be promptly intimated to the Quartermaster by the R.M.O. Movement of equipment from one range to another should not be done without obtaining specific orders from A.R.O.'M'.

C.P. Joshi

(C.P. Joshi)
DIG of Police,
State Radio Officer,
U.P. Police Radio HQs.

Dated: Lucknow, June 26, 1967.